आउटकम बजट
(वर्ष 2017–18)

क्र. सं.	योजना का नाम	आउट ले (लाख रू0 में)		परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत				
राज्य सैक्टर (2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण)							
1	001–निदेशन एवं प्रशासन 03–राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान	1279.14	0	कार्मिक के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय इत्यादि	वर्षान्त तक	कार्मिक के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय इत्यादि	वर्षान्त तक
2	104–निदेशक एवं प्रशासन 42–अन्य व्यय	10.00	0	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	एक वर्ष	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	वर्षान्त तक
	योगः–	1289.14	0				
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 101–औद्योगिक विकास)							
3	02–मेगा टैक्सटाईल पॉलिसी–2014	700.00	0	मेगा टैक्सटाईल पॉलिसी	वर्षान्त तक	मेगा टैक्सटाईल पॉलिसी	वर्षान्त तक
4	03–मेगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी–2015	1400.00	0	मेगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी	वर्षान्त तक	मेगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी	वर्षान्त तक
	योग(101):–	2100.00	0				
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 102–लघु उद्योग)							
5	लघु उद्योगों की गणना योजना(100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	0.01	0	पंचम अखिल भारतीय गणना हेतु लगाये गये मानव संसाधन का मानदेय।	वर्षान्त तक	चालू योजनाओं में आवश्यकतानुरूप संशोधन एवं नई नीतियों का कियान्वयन।	वर्षान्त तक
6	03–अधिष्ठान व्यय–उद्योग विभाग	2563.54	0	प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	वर्षान्त तक	1–नियोजित औद्योगिकीकरण 2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3–उद्यमिता विकास।	वर्षान्त तक
7	18–उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना	11.10	0	कार्यालय के कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	वर्षान्त तक	1–पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा। 2–व्यापार के नये अवसर	वर्षान्त तक
8	राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता।	15.00	0	उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम के अन्तर्गत	वर्षान्त तक	1–उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम	वर्षान्त तक

				उद्यमों की स्थापना हेतु समस्त औपचारिकतायें वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेंगी।		का प्रभावी क्रियान्वयन। 2–समयबद्ध निस्तारण 3–राज्य में निवेश हेतु बेहतर वातावरण	
9	उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	0.01	0	बेरोजगार युवाओं/शिक्षित युवा वर्ग तथा स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों में उद्यमिता विकास की भावना विकसित करना।	वर्षान्त तक	भावी उद्यमियों को उद्यम स्थापना हेतु समस्त जानकारी के साथ–साथ जोखिम वहन हेतु सक्षम बनाना।	वर्षान्त तक
10	पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर विकास योजना	0.01	0	प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास द्वारा पूंजी निवेश प्रोत्साहन एवं स्वरोजगार के साथ–साथ रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना।	वर्षान्त तक	1–नियोजित औद्योगिकीकरण 2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3–उद्यमिता विकास।	वर्षान्त तक
11	राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन नीति।	1600.00	0	नीति के अधीन प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में पर्वतीय इकाईयों को लाभान्वित किया जायेगा।	वर्षान्त तक	1–नियोजित औद्योगिकीकरण 2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3–उद्यमिता विकास।	वर्षान्त तक
12	25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का अधिष्ठान	60.90	0	कार्यालय में कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	वर्षान्त तक	केन्द्र सरकार से आवश्यक समन्वय।	वर्षान्त तक
13	उत्तराखण्ड माटी कला परिषद को सहायता	5.00	0	माटी कला शिल्पियों को विद्युत चालित चाक और शिल्पियों को मिट्टी की उपलब्धता हेतु परिचय पत्र जारी किये जायेंगी।	वर्षान्त तक	1–प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित करना। 2–बाजार आधारित विकास	वर्षान्त तक
14	एमएसएमई अवस्थापना विकास निधि	200.00	0	5 मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना विकास द्वारा उद्यमों के स्थापना हेतु भूखण्ड उपलब्ध	वर्षान्त तक	1–विनिर्माणक गतिविधियों को प्रोत्साहन। 2–उद्यम स्थापना के माध्यम से रिक्त भूखण्ड का सदुपयोग	वर्षान्त तक

				कराना।		करते हुये पूंजी निवेश, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक लगाना।	
15	महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना	50.00	0	नीति के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को इकाईयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहनों के अन्तर्गत नई इकाईयों को लाभान्वित किया जायेगा।	वर्षान्त तक	प्रदेश में महिला उद्यमिता के माध्यम से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक
16	नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनान्तर्गत ग्रामीण हाट का निर्माण	1500.00	0	प्रदेश के दो पर्वतीय जनपदों, चमोली एवं पिथौरागढ़ तथा दो मैदानी जनपदों देहरादून व ऊधमसिंहनगर में ग्रामीण हाट की स्थापना द्वारा विपणन सुविधा प्रदान करना।	वर्षान्त तक	प्रदेश के एम.एस.एम.ई उत्पादों व हथकरघा बुनकर शिल्पियों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराते हुये आय मे वृद्धि।	वर्षान्त तक
17	प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना	400.00	0	नीति के अन्तर्गत इकाईयों की स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। पुनश्चः स्वरोजगार हेतु प्रदेश के युवाओं को लाभान्वित करते हुये नीति के अधीन प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।	वर्षान्त तक	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की स्थापना द्वारा पूंजी निवेश, रोजगार सृजन के साथ–साथ पलायन पर रोक तथा राज्य के समावेशी विकास में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका का निर्वहन करना।	वर्षान्त तक
18	कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण योजना	50.00	0	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, शिल्प क्षेत्र तथा अन्य रोजगारपरक क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुये कुशल उद्यमी के रूप में विकसित किया जायेगा।	वर्षान्त तक	तकनीकी दक्षता प्रदान करते हुये स्वरोजगार/ रोजगार हेतु तैयार करना।	वर्षान्त तक
19	एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) की स्थापना	50.00	0	बैंकिंग एवं वित्त विशेषज्ञ, निर्यात एवं विपणन विशेषज्ञ, डिजाईन विशेषज्ञ एवं	वर्षान्त तक	प्रदेश के अप्रयुक्त संसाधनों का उचित प्रयोग, निर्मित उत्पाद हेतु विपणन के उचित अवसर,	वर्षान्त तक

				टैक्सटाईल विशेषज्ञ के माध्यम से राज्य के अनुकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन।		उत्पादों में डिजाइन समावेश तथा बैंक लिंकेज हेतु एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराना।	
20	स्टार्टअप एण्ड स्टैंडअप उद्यमिता विकास	100.00	0	उद्यमियों को स्टैण्डअप लोन, टॉपअप, वाईविलिटी गैप फण्डिंग, टैक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेसन केन्द्र की स्थापना आदि कार्य किया जायेगा।		1–प्रदेश के तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन को प्रदेश में ही निवेश अनुकूल वातावरण प्रदान करना। 2–प्रक्रिया एवं उत्पाद के स्तर पर नवोनमेशी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।	
21	औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार–प्रसार	250.00	0	भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली, नेशनल हैण्डलूम एक्सपो, स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो, विभिन्न उद्योग संघों द्वारा आयोजित गोष्ठियों, सेमीनार तथा विपणन गतिविधियों हेतु आयोजित प्रदर्शनियॉ।	वर्षान्त तक	1–विपणन प्रोत्साहन 2–योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार 3–उद्यमिता के वातावरण का सृजन	वर्षान्त तक
22	उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु पुरूष्कार योजना	6.00	0	जनपद स्तर पर उद्यमियों को पुरस्कृत करते हुये प्रदेश स्तर पर श्रेष्ठ उद्यमी/शिल्पी/बुनकर को सम्मानित करते हुये प्रोत्साहित किया जायेगा।	वर्षान्त तक	1–उत्पादों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि 2–उत्पाद के साथ उद्यमी/शिल्पी/बुनकर का प्रचार–प्रसार 3–उद्यमी/शिल्पी/बुनकर की मान्यता	वर्षान्त तक
23	ईज आफ डूईंग बिजनेस	500.00	0	केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्यों में औद्योगिक वातावरण को आसान बनाए जाने हेतु योजनान्तर्गत राज्यों हेतु 405 कार्य विन्दु (Action Points) निर्धारित।	वर्षान्त तक	निर्धारित 405 कार्य विन्दुओं पर कार्य किया जायेगा।	वर्षान्त तक
	योगः–	7361.57	0				

राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 103–हथकरघा)							
24	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता।	50.00	0	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन राज्य के शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया जायेगा। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।	वर्षान्त तक	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
25	हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान	0	50.00	संस्थान की स्थापना द्वारा राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ शोध आदि कार्य।	वर्षान्त तक	शिल्पियों को कौशल अभिवृद्धि, डिजाईन विकास तथा शिल्पियों का व्यवसायिक उत्पादन द्वारा आय में वृद्धि के साथ–साथ उनके शिल्प की पहचान प्रदेश से बाहर बनाने हेतु।	वर्षान्त तक
26	नन्दा देवी योजना	50.00	0	परामर्शदात्री सेवाओं हेतु मै0 पंचाचूली वूमन हैण्डलूम सोसाईटी को भुगतान तथा रिवाल्विंग फण्ड के रूप में प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा उत्पादों के विपणन व उत्पादन हेतु उपयोग।	वर्षान्त तक	प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के माध्यम से स्वरोजगार एवं पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक
27	खादी संस्थाओं को सहयोग	10.00	0	प्रतिवर्ष 5 संस्थाओं का चयन कर उन्हें कार्य करने हेतु प्रति संस्था अधिकतम रू0 5 लाख, जिसमें क्रमशः कार्यशाला मद में 50 प्रतिशत, डिजाइन विकास में 20 प्रतिशत तथा तकनीकी कौशल हेतु 30 प्रतिशत धनराशि की सहायता।	वर्षान्त तक	1–मॉग अनुरूप खादी वस्त्रों में डिजाइन का समावेश 2–आकर्षक उत्पाद के द्वारा खादी संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी बनाना 3–रोजगार के अवसर सृजित करना	वर्षान्त तक
28	शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	20.00	0	225 शिल्पियों को रू0 400/– प्रतिमाह प्रति शिल्पी सम्मान स्वरूप प्रदान करना।	वर्षान्त तक	हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसर हेतु लोगों को प्रोत्साहन, परम्परागत धरोहर का संरक्षण एवं उन्नयन।	वर्षान्त तक

29	समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बुनकर/शिल्पकार इत्यादि विकास योजना	10.00	0	प्रदेश के 10 ब्लॉकों शिल्पियों को, जिनमें महिलायें भी शामिल हैं, को सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, डिजाइन विकास, बैंक लिंकेज, प्रचार–प्रसार आदि के माध्यम से स्वावलम्बी बनाना।	वर्षान्त तक	1–शिल्पियों विशेषतः महिलाओं में स्वावलम्बन की भावना विकसित करना। 2–प्रदेश की आर्थिकी में महिलाओं की भूमिका का उचित चित्रण करना। 3–विपणन विकास 4–क्रेडिट लिंकेज 5–स्वरोजगार सृजित करना	वर्षान्त तक
30	उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरूष्कार	5.00	0	प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ शिल्पियों का चयन करते हुये पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किये जायेंगे।	वर्षान्त तक	राज्य की परम्परागत कला एवं संस्कृति को संरक्षित करते हुये उसके संवर्द्धन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।	वर्षान्त तक
31	जयानन्द भारती दस्तकार प्रशिक्षण योजना	10.00	0	13 जनपदों में कार्यक्रमों के माध्यम से चयनित दस्तकारों को तकनीकी रूप से दक्ष करना।	वर्षान्त तक	1–दस्तकार वर्ग में कौशल विकास 2–क्रेडिट लिंकेज 3–विपणन विकास 4–स्वरोजगार	वर्षान्त तक
32	हथकरघा कताई–बुनाई महिला कमकारों को सहायता	10.00	0	हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रही महिला बुनकरों को बुनाई कार्य से सम्बन्धित उपकरण आदि क्रय करने हेतु रू0 25 हजार प्रति बुनकर के रूप में सहायता उपलब्ध कराना।	वर्षान्त तक	1–महिलाओं में आर्थिक गतिविधियॉ बढ़ाना 2–क्रेडिट लिंकेज 3–स्वरोजगार	वर्षान्त तक
	योगः–	165.00	50.00				
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 105–खादी ग्रामोद्योग)							
33	खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता	50.00	0	25 कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की योजनाओं का प्रचार–प्रसार, खादी एवं ग्रामोद्योग की 25 प्रदर्शनियों में प्रदेश में उत्पादित खादी वस्तुओं का विपणन व प्रोत्साहन तथा 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के	वर्षान्त तक	1–खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित वस्त्रों के प्रति लोगों को आकर्षित करना 2–क्रेडिट लिंकेज 3–स्वरोजगार	वर्षान्त तक

				माध्यम से 150 लोगों में कौशल विकास।			
34	खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता (वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान)	600.00	0	कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन।	वर्षान्त तक	कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन।	वर्षान्त तक
35	कताई–बुनाई बुनकरों को आर्थिक सहायता	7.00	0	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को इस क्षेत्र में दक्ष बनाते हुये स्वरोजगार हेतु उन्नत चर्खे उपलब्ध कराना।	वर्षान्त तक	1–आकर्षक ऊनी वस्त्र का निर्माण 2–महिलाओं की आय में बृद्धि 3–क्रेडिट लिंकेज 4–स्वरोजगार	वर्षान्त तक
36	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट	140.00	0	60 संस्थाओं के प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 200 बिक्री केन्द्रों में हुई बिक्री के सापेक्ष 10 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय किया जायेगा।	वर्षान्त तक	1–खादी वस्त्रोद्योग को बढ़ावा 2–खादी क्षेत्र में रोजगार सृजन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन प्रोत्साहन	वर्षान्त तक
37	रेशा खरीद हेतु अनुदान	50.00	0	जसपुर, अल्मोड़ा, चम्बा तथा श्रीनगर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्राकृतिक रेशा क्रय करते हुये इसमें मूल्यवर्द्धन कर नवीन उत्पाद हेतु विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।	वर्षान्त तक	1–प्राकृतिक रेशों का मूल्यवर्द्धन 2–अभिनव उत्पाद 3–स्वरोजगार	वर्षान्त तक
	योग(105):–	847.00	0				
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून (आयोजनागत)							
38	2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 001–निदेशन तथा प्रशासन 03– खनिज प्रशासन का अधिष्ठान	941.22	0	अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय	वर्षान्त तक	अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय	वर्षान्त तक
39	04–राज्य खनिज विकास परिषद	40.00	0	परिषद के संचालन में व्यय कार्य हेतु।	वर्षान्त तक	परिषद के संचालन में व्यय कार्य हेतु।	वर्षान्त तक
40	102–खनिज खोज 03–पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना	142.00	0	नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य।	वर्षान्त तक	नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य।	वर्षान्त तक

41	102–खनिज खोज 04–खनन सर्विलांश	264.02	0	खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम किया जाना तथा अपेक्षित राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति।	वर्षान्त तक	खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम किया जाना तथा अपेक्षित राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति।	वर्षान्त तक
	योगः–	1387.24	0				
42	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 26–मशीनों की साज–सज्जा	0	150.00	प्रेस की मशीनों की साज–सज्जा हेतु	वर्षान्त तक	प्रेस की मशीनों की साज–सज्जा हेतु	वर्षान्त तक
	4851–08–मै0 नेपा लि0 की भूमि हस्तान्तरण हेतु धनराशि	0	2675.00	भूमि हस्तान्तरण में प्रतिपूर्ति के समायोजन हेतु धनराशि।	वर्षान्त तक	भूमि हस्तान्तरण में प्रतिपूर्ति के समायोजन हेतु धनराशि।	वर्षान्त तक
43	4860–फूड पार्क	0	1.00		वर्षान्त तक		वर्षान्त तक
	योग(अनुदान संख्या–23)	0	2826.00				

अनुदान संख्या–30
(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)

क्र. सं.	योजना का नाम	आउट ले (लाख रू0 में)		परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत				
1	उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	0.20	0	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 15 शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के 35 शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई।	वर्षान्त तक	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
	योगः–	0.20	0				

अनुदान संख्या–31
(ट्राईबल सब प्लान)

क्र. सं.	योजना का नाम	आउट ले (लाख रू0 में)		परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत				
1	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	5.10	0	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 55 शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के 22 शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई।	वर्षान्त तक	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
2	व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान	12.00	0				
3	ऊन बैंक की स्थापना	10.00	0				
	योगः–	27.10	0				